

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन-नया रायपुर


// आदेश //

रायपुर, दिनांक 25/05/2015

क्रमांक एफ 7-8/2008/20-एक (तीन) राज्य शासन, एतद् 06 विकासखण्ड में शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान (बाइट) फरसगांव जिला कोण्डागांव, सुकमा जिला सुकमा, बगीचा जिला जशपुर, अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, बोड़ला, जिला कबीरधाम एवं कुसमी, जिला बलरामपुर में स्थापना का निर्णय लेते हुए निम्नानुसार नियमित पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	2	3	4	5
1.	प्राचार्य	15600-39100	6600	6
2.	उप प्राचार्य	15600-39100	5400	6
3.	व्याख्याता	9300-34800	4300	36
4.	छात्रावास अधीक्षक	9300-34800	4200	6
5.	सहायक ग्रंथपाल	5200-20200	2800	6
6.	सहायक ग्रेड-02	5200-20200	2400	12
7.	सहायक शिक्षक विज्ञान	5200-20200	2400	6
8.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200-20200	2200	6
9.	सहायक ग्रेड-03	5200-20200	1900	18
10	भृत्य (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	---	24
11	चौकीदार (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	---	12
कुल योग				138

सुकमा
3/25/15
राज्य शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन-नया रायपुर



shakar.order


//2//

2/- उक्त पदों पर होने वाला व्यय भार निम्नांकित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा :-

“ उक्त मांग संख्या 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्राथमिक शिक्षा 107 शिक्षकों का प्रधिकण 0701 केन्द्रीय प्रशिक्षण योजना सामान्य 7673 विकासखण्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान आयोजना के अंतर्गत विकलनीय होगा। ”

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के f 2015-20-00369/B-3/चार दिनांक 10.04.2015 द्वारा शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(सुरेन्द्र सिंह बाघे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 25/05/2015

पृ0कमांक एफ 7-8/2008/20-एक(तीन)

प्रतिलिपि:-

- (1) सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
- (2) निज सहायक, माननीय मंत्रीजी छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (6) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
- (7) आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- (8) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- (9) संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- (10) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर।
- (11) कलेक्टर जिला.....
- (12) जिला शिक्षा अधिकारी.....
- (13) संबंधित कोषालय अधिकारी.....
- (14) प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर/रायपुर।
- (15) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
- (16) प्राचार्य, बी.टी.आई.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन-नया रायपुर


// आदेश //

रायपुर, दिनांक 25/05/2015

कमांक एफ 7-8/2008/20-एक (तीन) राज्य शासन एतद् 03 नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) दुर्ग, नारायणपुर एवं बीजापुर में स्थापना का निर्णय लेते हुए निम्नानुसार नियमित पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स. क.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	2	3	4	5
1.	प्राचार्य	15600-39100	6600	3
2.	उप प्राचार्य	15600-39100	5400	3
3.	सहायक प्राध्यापक	15600-39100	5400	15
4.	व्याख्याता	9300-34800	4300	36
5.	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800	4300	3
6.	छात्रावास अधीक्षक	9300-34800	4200	3
7.	सहायक ग्रंथपाल	5200-20200	2800	3
8.	सहायक ग्रेड-01	5200-20200	2800	3
9.	शीघ्रलेखक ग्रेड-03	5200-20200	2800	3
10.	सहायक ग्रेड-02	5200-20200	2400	6
11.	सहायक शिक्षक विज्ञान	5200-20200	2400	6
12.	डॉटा एन्ट्री आपरेटर	5200-20200	2200	3
13.	सहायक ग्रेड-03	5200-20200	1900	18
14.	भृत्य (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	---	12
15.	चौकीदार (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	---	6
कुल योग				123

shakar.order




2/- उक्त पंदों पर होने वाला व्यय भार निम्नांकित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा :-

"उक्त मांग संख्या -27 स्कूल शिक्षा विभाग (01) प्राथमिक शिक्षा (107) शिक्षकों का प्रशिक्षण (0101) केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए आयोजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।"

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के f 2015-20-00369/B-3/चार दिनांक 10.04.2015 द्वारा शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(सुनेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 25/05/2015

पृ0कमांक एफ 7-8/2008/20-एक(तीन)
प्रतिलिपि:-

- (1) सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
- (2) निज सहायक, माननीय मंत्रीजी छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (6) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
- (7) आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- (8) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- (9) संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- (10) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर।
- (11) कलेक्टर जिला.....
- (12) जिला शिक्षा अधिकारी.....
- (13) संबंधित कोषालय अधिकारी.....
- (14) प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर/रायपुर।
- (15) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
- (16) प्राचार्य, बी.टी.आई.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
